

राजनीतिक अवधारणाएँ

भौलिक राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण राजनीति दर्शन का एक प्रमुख कार्य है। इस अध्याय में हम “राज्य”, “शक्ति”, “प्रभाव”, “प्राधिकार” और “अधिकार” जैसी कुछ भौलिक राजनीतिक अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करेंगे।

राज्य

राजनीति दर्शन का सबस्तु राज्य से है। इसलिए “राज्य” की अवधारणा का स्पष्टीकरण सबसे जरूरी है। राज्य एक सामाजिक समिति (social association) है। किसी विशेष और सामान्य लक्ष्य के लिए संगठित समूह को सामाजिक समिति कहते हैं। किसी भी समाज में कई समितियाँ होती हैं, जैसे राजनीतिक दल या कोई भी अन्य लक्ष्यसेवी संगठन। परिवार और राज्य महत्वपूर्ण सामाजिक समितियाँ हैं। प्रश्न यह है कि राज्य अन्य सामाजिक समितियों के किस प्रकार भिन्न है?

राज्य की कई परिभाषाएँ दी गयी हैं। गार्नर के अनुसार, राज्य एक निश्चित भू-भाग में रहने वाले व्यक्तियों का संगठन है, जिसकी एक संगठित, स्वतंत्र सरकार होती है, जिसके आदेशों का पालन उस भू-भाग के लोग करते हैं।

गेटेल के अनुसार, राज्य के चार तत्व हैं: (1) आबादी (2) क्षेत्र (3) सरकार और (4) सम्भुता। राज्य के अस्तित्व के लिए इन चारों तत्वों का रहना जरूरी है।

आबादी

किसी भी राज्य के अस्तित्व के लिए व्यक्तियों के समूह या आबादी का होना जरूरी है। यह बात राज्य सहित हर सामाजिक समिति पर लागू होती है। राज्य की जनसंख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी। लेकिन, किसी भी राज्य में कम-से-कम इतनी आबादी अवश्य होनी चाहिए जो राज्य के संगठन को आत्म-निर्भर रूप में चला सके।

क्षेत्र

राज्य के अस्तित्व के लिए क्षेत्र का होना जरूरी है, जिसमें उस राज्य की आबादी रहती है। यह क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है, जैसे, भारतीय राज्य का क्षेत्र, और छोटा भी, जैसे, नेपाल राज्य का। राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत उसकी जमीन, जल और वायु-क्षेत्र आते हैं। यह बात सभी सामाजिक समितियों पर लागू नहीं होती। कई समितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनका अपना कोई क्षेत्र नहीं हो, जैसे, परिवार।

सरकार

आबादी और क्षेत्र के होने से ही राज्य का अस्तित्व नहीं हो जाता है। राज्य के अस्तित्व के लिए संगठित सरकार का होना भी जरूरी है, जिसके जरिए राज्य के कानून की अभिव्यक्ति होती है। सरकार के तीन कार्य होते हैं: (i) कानून बनाना (ii) कानून को लागू करना और (iii) कानून की व्याख्या करना। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में ये काम क्रमशः राज्य की तीन अलग-अलग शाखाओं द्वारा किए जाते हैं: (i) विधायिका (ii) कार्यपालिका और (iii) न्यायपालिका। सरकार की इन शाखाओं द्वारा राज्य की सम्प्रभु शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। (कभी-कभी ‘राज्य’ शब्द का सीमित अर्थ में “सरकार” के पर्याय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।)

सम्प्रभुता

राज्य के अस्तित्व के लिए आबादी, क्षेत्र और सरकार का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सम्प्रभुता का होना अनिवार्य है। ‘‘सम्प्रभुता’’ का अंग्रेजी पर्याय “sovereignty” है, जो लैटिन शब्द “supremitas” से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ‘‘सर्वोच्च शक्ति’’। गेटेल के अनुसार आन्तरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतन्त्रता, या दूसरे शब्दों में, सम्प्रभुता ही वह विशेष गुण है, जो राज्य को अन्य मानवीय संस्थाओं से अलग करता है।

इस तरह, सम्प्रभुता के दो पक्ष हुए—(i) आन्तरिक और (ii) बाह्य। आन्तरिक दृष्टि से सम्प्रभुता का अर्थ यह हुआ कि राज्य को अपने क्षेत्र की पूरी आबादी पर पूर्ण कानूनी प्राधिकार रहता है। राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को कानून कहा जाता है, और राज्य को, अगर आवश्यक हुआ तो, उसे लागू करने के लिए बल-प्रयोग का अधिकार भी रहता है। ये कानून राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों के ऊपर होते हैं, और ये राज्य के क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों और समितियों पर अनिवार्यतः लागू होते हैं। दूसरी ओर, बाह्य दृष्टि से सम्प्रभुता का अर्थ यह हुआ कि राज्य कानूनी दृष्टि से किसी दूसरे राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।

डी.डी.रैफेल के अनुसार राज्य को सम्प्रभु (sovereign) कहने का अर्थ यह हुआ कि राज्य समुदाय में सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकारी (authority) है। राज्य द्वारा बनाए गए नियम किसी भी अन्य समिति द्वारा बनाए गए नियमों से ऊपर होते हैं।

‘‘राज्य’’ शब्द के ऊपर बतलाए गए अर्थ में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि राज्य हैं। भारत में भारतीय संघ की क्षेत्रीय इकाइयों को भी ‘‘राज्य’’ कहा जाता है। इस अर्थ में बिहार, पंजाब, आदि राज्य हैं। लेकिन, बिहार या पंजाब ऊपर बतलाए गए अर्थ में ‘‘राज्य’’ नहीं हैं, क्योंकि इनमें आबादी, क्षेत्र और सरकार तो हैं, लेकिन सम्प्रभुता नहीं हैं।

राज्य के कार्य

राज्य के कार्य क्या होने चाहिए इस बारे में राजनीतिक विचारकों के अलग-अलग विचार रहे हैं। राज्य का स्वरूप क्या है, या क्या होना चाहिए, और राज्य के क्या कार्य होने चाहिए, इस बारे में राजनीति दर्शन में कई सिद्धान्त हैं। उनके विस्तार में जाना यहाँ पर हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर हमारी रुचि सिर्फ ‘‘राज्य’’ की अवधारणा को स्पष्ट करने में है। रैफेल

1. D.D. Raphael, *Problems of Political Philosophy*, p. 55.

के अनुसार व्यवहार में किसी आधुनिक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। सुरक्षा के दो पक्ष हैं: आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने का अर्थ है, व्यक्ति के जीवन, अधिकारों और सम्पत्ति की रक्खा। बाह्य सुरक्षा का मुख्य अर्थ है अन्य राज्यों द्वारा सैनिक आक्रमण से रक्खा, या अन्य राज्यों से राज्य के आर्थिक हितों की रक्खा। आन्तरिक सुरक्षा के लिए कठूलू की महावता ली जाती है, जबकि बाह्य सुरक्षा के लिए सेना, संघि और आर्थिक समझौतों की। आज के समय में लगभग सभी राज्यों द्वारा राज्य के इस नकारात्मक कार्य के अलावा, एक सकारात्मक कार्य भी किया जाता है। वह सकारात्मक कार्य है जन-कल्याण और न्याय को प्रोत्साहन, हालांकि इस दृष्टि से एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच फिल्मी का अन्तर होता है।

राज्य और राष्ट्र

रैफेल ने “राज्य” (state) और “राष्ट्र” (nation) में अन्तर किया है। रैफेल के अनुसार, राष्ट्र एक समुदाय है, एक समूह जो सामान्य जीवन के सभी शर्तों को पूरा करता है, और जिसके साथ निष्ठा और तादात्म्य की स्वाधारिक भावना जुड़ी रहती है। इस भावना का आधार सामान्य भाषा, संस्कृति और इतिहास हो सकता है। राष्ट्र का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र राज्य की तरह समिति नहीं है।

राष्ट्र और राज्य हमेशा एक नहीं होते हैं। कभी-कभी एक राष्ट्र के लोग अलग-अलग राज्यों के नागरिक हो सकते हैं, जैसे, पञ्चून राष्ट्र के कुछ लोग पाकिस्तान राज्य के नागरिक और कुछ अफगानिस्तान राज्य के; या फिर तमिल राष्ट्र के कुछ लोग भारत राज्य के और कुछ श्रीलंका के। दूसरी ओर, एक बहुराष्ट्रीय राज्य में कई राष्ट्र के लोग नागरिक हो सकते हैं, जैसे, संयुक्त राज्य (United Kingdom) में अंग्रेज, स्कॉट और अन्य। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि भारत में भी कई राष्ट्रीयताएँ या उपराष्ट्रीयताएँ हैं। सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि भारत में भी कई राष्ट्रीयताएँ या उपराष्ट्रीयताएँ हैं। सामान्य तौर पर, रैफेल के अनुसार, आधुनिक विश्व में राष्ट्र और राज्य अपनी सदस्यता में सम्बन्ध होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीय-राज्यों (nation-states) को जन्म देती है; और एक राज्य के सदस्य होने से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। फिर भी, राष्ट्र और राज्य में अन्तर है। राष्ट्र एक समुदाय है, राज्य एक समिति। राष्ट्र की सदस्यता भावनाओं से जुड़ी होती है, जो सामान्य अनुभव और इतिहास पर निर्भर करती है, जबकि राज्य की सदस्यता का सम्बन्ध कानूनी स्थिति से है।